

अनुसुची चार

आरक्षित भूमि का विस्तार

(क) उपविधियों के अनुसार भूमि आरक्षित सुनिश्चित करना:

अनुसुची पांच

प्ररूप संख्या	नियम के अधीन	शीर्षक
9.1	6 (1)	आशय की घोषणा की सूचना-आपत्तितयों और सुझावों का आमंत्रण- भूमि को लिये जाने के लिए आवेदनो का आमंत्रण-भू स्वामियों द्वारा संयोजन योजना
9.2	6 (1) (i)	भूमि संयोजन योजना के क्षेत्र पर आपत्तितयों ओर सुझाओं को देने के लिए प्ररूप
9.3	6 (1) (ii)	भूमि संयोजन योजना में भाग लेने के लिए शपथपत्र के सथ आवेदन प्ररूप
9.4	7 (1)	आपत्तियों और सुझाओं के निस्तारण की सूची
9.5	7 (2)	भूमि संयोजन योजना संरचना के तैयारी के लिए अंतिम क्षेत्र की अधिसूचना
9.6	8 (1)	भूमि संयोजन योजना में सहभागिता के लिए भू स्वामियों को वैयक्तिक सूचना और स्वामित्व के सत्यपन के लिए अभिलेखों को प्रस्तुत करना
9.7	8 (2)	अभिलेखों के साथ आवेदनों की कार्यालयीा प्राप्ति
9.8	8 (3)	भू स्वामियों से आपत्तियों आमंत्रण करने के दावों की सूची का प्रकाशन
9.9	8 (4)	भूमि के कतिपय श्रेणियों के सत्यापन की अपेक्षा जिला कलक्टर से करना
9.10	8 (5)	भूमि संयोजन योजना में प्रतिभाग करने के लिए अर्हता संबंधी आदेश
9.11	8(6)	भूमि संयोजन योजना के अधीन नही दी गयी सहमति पर भूमि और भू स्वामियों की सूची
9.12	8(7)	संकमणीय अधिकार वाले भू धारकों के भू स्वामियों और व्यक्तियों हेतु पुनगठित भू खंडों के अर्हता विस्तार का निर्धारण
9.13	8(8)	भूमि संयोजन योजना में प्रतिभाग करने वाले अर्ह सकमणीय

		अधिकार वाले भू धारकों के भू स्वामियों / व्यक्तियों की सूची
9.14	8(8)	संकमणीय अधिकार वाले भू धारकों के भू स्वामियों और व्यक्तियों तथा विकास प्राधिकरण के मध्य करार
9.15	9(2) (d)	राजस्व विभाग को सूचना देने का नोटिस- इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन सर्वे
9.16	9(2)(e)	संकमणीय अधिकार वाले भूमि धारकों के भू स्वामियों / व्यक्तियों को सूचना का नोटिस- इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन सर्वे
9.17	9(3)	संकमणीय अधिकार वाले भूमि धारकों के भू स्वामियों / व्यक्तियों की सूची की तैयारी ओर क्षेत्र विवरण/ अंतिम आधार मानचित्र का प्रमाण
9.18	9 (6) (g)	अंतिम भूखंड के सयुक्त आवंटन के लिए आवेदन
9.19	9(7)	विकास प्राधिकरण द्वारा परामर्शियों का अभिकथन
9.20	10(1)	आपतितयों/सुझावों के लिए आमंत्रित भूमि संयोजन योजना संरचना की अधिसूचना
9.21	10(2)	संरचना भूमि संयोजन पर आपतितयों / सुझावों का प्ररूप
9.22	10(4)	अंतिम भूमि संयोजन योजना की सचना
9.23	10(4)	संकमणीय अधिकार वाले भू धारकों के भू स्वामियों / व्यक्तियों से भूमि का कब्जा लिया जाना
9.24	11(4)	भू स्वामियों को भूमि संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जाना
9.25	11(6)	संकमणीय अधिकार वाले भू धारकों के भू स्वामियों/ व्यक्तियों द्वारा दी गयी भूमि और भूमि संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र के विवरण को बैबसाइट में उपलब्ध करना
9.26	12(1)(a)	आरक्षित भूमि श्रेणीवार की पंजिका
9.27	12(1)(b)	प्राधिकरण द्वारा ली गई भूमि की पंजिका
9.28	12(4)	पुनर्गठित भूखंडों के भौतिक कब्जे का हस्तगत किया जाना
9.29	13(1)	अंतिम भूमि संयोजन की पूर्णता की सूचना का प्रकाशन
9.30	13(2)	भूमि अभिलेखों में दाखिल खारिज करने के पश्चात पुनर्गठित भूखंडों का प्रकाशन
9.31	13(3)	अंतिम भूमि संयोजन योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र



प्ररूप 9.1
[नियम 6(2) के अधीन]

आशय की घोषणा की सूचना- आपत्तियों और सुझावों का आमंत्रण- संकमणीय अधिकार वाले भू स्वामियों और व्यक्तियों द्वारा भू संयोजन योजना को लिये जाने के लिए आवेदनों का आमंत्रण

1. संदर्भों के अनुसरण में विकास प्राधिकरण भूमि संयोजन योजना के लिए अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अधिसूचित करने के आशयक की सूचना करता है और इसके लिए--

(एक) इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों के प्ररूप 9.2 में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करती है, और

(दो) अनुसूची तीन पर भूमि संयोजन योजना के लिए शर्तों और निर्बंधनों तथा मुख्य निबन्धनों, प्राधिकरण / सरकार / भूमि स्वामियों के उत्तरदायित्व तथा कृत्य, योजना की प्रक्रिया, मुख्य उद्देश्य और अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में संयोजना योजना में सहमति व्यक्त करने के लिए प्रतिभाग करने वाले से अनुसूचति यप में विदिर्निष्ट भूमि हेतु पररूप 9.3 मे संकमणीय अधिकार वाले भू धारिकों के भूमि स्वामियों / व्यक्तियों के इच्छुक आवेदन पत्र आमंत्रित करते है। आवेदन पत्र ग्रम में इस अधिसूचना की प्रकाशन तारीख 30 दिन के भीतर विकास प्राधिकरण के पास पहुंचाने होंगे।

2. भूमि संयोजन योजना के लिए विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर कार्यावलि और प्राधिकरण की वेबसासड पर इसकी सूचना भू सवामियों के निरीक्षण के लिए प्रसारित भू संयोजन योजना की प्रति रखी जायेगी।

3. विकास प्राधिकरण योजना के विवरण को स्पष्ट करने के क्रम में नीचे दिये गये ग्राम को अंशधारक ग्रमवासियों का संचालन करेगा।

तारीख	समय	राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	अधिवासी	स्थल

4. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले कोई आपत्तियों या सुझाव या प्रसवितावित भूमि में प्रेषक के हित की प्रकृति को स्पष्ट रूप से उल्लिखि न करने पर आवेदन पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिये जायेंगे।

5. निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तिया और सुझाव दिनांक----- को ----- बजे पर संबंधित आपत्तिकर्ता को स्वयं उपस्थित होने अथवा अधिवक्ता के साथ उपस्थित होने के लिए मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

संलग्नक--

(एक) प्ररूप 9.2 में प्रस्तुत आपत्तियां / सुझाव

(दो) प्ररूप 9.3 में संकमणीय अधिकार वाले भू धाराकों / भू स्वामियों के व्यक्तियों से सहमति आवेदन पत्र।

स्थान:

दिनांक:

भूमि संयोजन के लिए विकास प्राधिकरण



प्ररूप 9.2
[नियम 6(2)(i) देखें]

आशय की घोषणा के लिए आपत्तियां और सुझाव
संदर्भ 1- प्ररूप 9.1 में नियम 6(2) के अधीन अधिसूचना _____ दिनांक _____

मैं उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) नियम, 2015 के अधीन भूमि संयोजन योजना पर एतद्वारा अपने आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ-

अनुसूची 1. भूमि संयोजन योजना के अधीन क्षेत्र

जिला:	ग्राम:	
कंस0	राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत/ पंचायतें

आपत्तियां

सुझाव

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

नाम

पता:

आधार संख्या:

मोबाईल संख्या:



प्ररूप - 9.3
[नियम 6(1) के अधीन]

भूमि संयोजन योजना में भाग लेने के लिए शपथ पत्र के साथ आवेदन प्ररूप

सेवा में
विकास प्राधिकरण

विषय— क्षतिपूर्ति राशि और अन्य लाभों के क्रम में आवंटित विकसित और पुनर्गठित भूमि तथा भूमि संयोजन योजना के अधीन होने वाले भागीदारों हेतु आवेदन पत्र।

संदर्भ— नियम 6(1) के अधीन दिनांक ----- को प्रकाशित अधिसूचना संख्या----- दिनांक --- द्वारा जारी सूचना।

महोदय,

1. मैं/ हम ----- पुत्र श्री/पत्नी श्री----- भूमि संयोजन योजना के लिए एतद्वारा विकास क्षेत्र में स्थित असनुचिम दो में लिखित विवरणानुसार भूमि के सक्रमणीय अधिकार चिन्हांकित के साथ भूमि धारक/वैयक्तिक स्वामी/सह अंशधारी है और विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि को त्यागने/ परित्याग करने/हस्तांतरण करने तथा संदर्भ में सूचना के निर्बन्धन और शर्तों तथा योजना/नियमों में यथाविवरण विकास प्राधिकरण द्वारा विकास करने के भूमि संयोजन योजना का अंतिम सूचना के पर मेरे/हमारे हकदार के अनुसार विकसित भूमि के भाग का आवंटन कर दिया जायेगा।
2. अनुसूची दो उल्लिखित अभिलेख की प्रति जो ये पुष्टि करती है कि उपयुक्त भूमि मेरे/हमारे स्वामित्व के अधिकार में है और संलग्न संदर्भ अभिलेख परीक्षण के दौरान उपलब्ध कराये जाने वाले मूल प्रतियां संलग्न है।
3. मैं/हम यह अवगत कराते है कि हमने उपर संदर्भित भूमि संयोजन योजना के उपबंधों और विस्तृत अधिसूचित नियमों को विस्तारपूर्वक पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम उक्त भूमि संयोजन योजना के अधीन विकसति प्रक्रिया में भागीदार बनने के इच्छुक है और मैं और हम भूमि संयोजन योजना के अधीन अनुसूची दो के अंतर्गत निर्णित भूमि को प्रत्याहरित करने के इच्छुक है।
4. अग्रेतर मैं/हम (पूर्ण अथवा आंशिक) उपयुक्त संदर्भ में यथाउल्लिखित पुनर्गठित भूमि के अनुपातिक अंश के अंतिम आवंटन के लिए अनुमोदति विकास योजना के योजना कार्यों के भीतर तैयार ले आउट योजना के अनुसार विकास प्राधिकरण को आवंटित करने के इच्छुक है।
5. मैं /हम पूर्ण रूप से सावधानी और होसाहवास से यह कथन करते है कि हम भूमि संयोजन योजना के अधीन भगीदार बनने का विकल्प चुनते है। मैं/ हम भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासन अधिनियम, 2013 के अधीन किसी नगद क्षतिपूर्ति या अरू कोई लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखेगे।
6. मैं/हम इस आवेदन के अनुसूची एक के अनुसार अनुबंध संलग्न कर रहे है।
7. मैं/हम यह कथन करते है कि उपर उल्लिखित विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है तथा मैं/ हम उक्त सत्य और सही पर विश्वास करते है। इसके किसी भाग में कोई असत्य विवरण नहीं है तथा कोई बात नहीं छुपाई गई है। मैं/ हम यह अनुबंध

करते हैं भूमि संयोजन योजना के उपबंधों के अनुसरण में यह शपथ पत्र में दिये गये उपबंधों का प्रयोग करेंगे और सहमत होते हैं कि मेरे /हमारे द्वारा प्रयुक्त विकल्प अनुत्कमणीय है।

8. अग्रतर मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि भूमि संयोजन योजना के लिए भूमि के हस्तान्तरण/ अंतरण उत्तर प्रदेश भूमि धारक अधिरोपण अधिनियम (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)के उपबंधों का उल्लघन नहीं है।

9. मैं/हम इस शपथ पत्र के साथ संलग्न अनुसूची दो में भूमि में स्वामित्व /कब्जा है। इस सम्पत्ति पर किसी प्रकार का स्वामित्व/कब्जा/किसी हित के संबंध में कोई सिविल विवाद किसी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. मैं/हम यह कथन करते हैं कि प्रस्तावित भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी बिनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 से आच्छादित नहीं है।

11. मैं / हम यह कथन करते हैं कि प्रस्तावित भूमि किसी भूमि अर्जन अधिसूचना/ हस्तांतरणीय प्रस्ताव द्वारा आच्छादित नहीं है।

12. मैं/ हम यह कथन करते हैं कि प्रस्तावित भूमि पर सरकार अथवा किसी बैंक अथवा किसी अभिकरण की कोई धनराशि अवशेष नहीं है, अथवा

मैं/हम यह कथन करते हैं कि ----- संस्था/अभिकरण का नाम को ----- रूपया अवशेष है।(जो लागू न हो उसे काट दिया जाय)

घोषणा

मैं/हम श्री----- पुत्र/पत्नी श्री----- आयु लगभग----- निवासी----- निम्नवत यह सत्यापित और कथन करते हैं कि इस प्ररूप में दी गयी सूचनाएं सत्य और सही है तथा मेरे/हमारे द्वारा दी गई सहमति अहस्तांतरणीय है तथा मेरे/हमारे अधिकतम विश्वास /जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और इसमें किसी प्रकार की कोई सूचना को छुपाया नहीं गया है। मैं/हम अग्रतर यह कथन करते हैं कि मैंने/हमने किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण द्वारा बिना किसी प्रभाव या इच्छा के विरुद्ध भूमि संयोजन योजना को अंतरित करने का विकल्प लिया है।

भवदीय,

भूस्वामी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:



प्ररूप -9.4
नियम 7(1) देखें
आपत्तियों/सुझावों पर निस्तारण सूची

किसी क्षेत्र में भूमि संयोजन योजना बनाये जाने के आशय की घोषणा हेतु जारी प्रकाशित /सूचना के अनुसरण में संक्रमणीय अधिकार रखने वाले भू धारकों के भू स्वामियों /व्यक्तियों को वैयक्तिक रूप से सूचना देकर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये और उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख----- को निम्नलिखित आपत्तियां भू-स्वामियों व्यक्तियों से जिनके पास संक्रमणीय अधिकार वाले भूमि धारक हैं, से प्राप्त किये गये। आपत्तियां/ सुझाव का परीक्षण किया गया और जैसा कि नीचे उल्लिखित किया गया है निस्तारणों की सूची तैयार की गयी है--

ग्राम का नाम:

मण्डल का नाम

ग्राम पंचायत का नाम:

जिले का नाम

क्रम संख्या	सर्वेक्षण संख्या	विस्तार	आपत्ति /सुझाव देने वाले व्यक्ति का नाम	सुझावों/आपत्तियों की सूची	स्वीकार्य/आंशिक रूप से स्वीकार/खारिज की जा सकेगी	ऐसे सुझावों के कारण

उपांतरित क्षेत्र के अंतिमीकरण के सुझाव/आपत्तियां संस्तुतियों सहित गुणावगुण के आधार पर अनुमोदनार्थ विकास प्राधिकरण के सम्मुख रखे जायेंगे।

स्थान:

तारीख:

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.5
नियम 7(2) देखें

भूमि संयोजन योजना की तैयारी के लिए अंतिम क्षेत्र की अधिसूचना

भूमि संयोजन योजना के आशय की अधिसूचना की घोषणा पर दिये गये आपत्तियों / सुझावों पर परीक्षण करने के पश्चात् और विकास प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से भूमि संयोजन योजना की तैयारी हेतु भूमि संयोजन योजना के अनुबंधन हेतु यथाउपान्तरित और अंतिम रूप से घोषित निम्नवत क्षेत्र है—

अनुसूची

ग्राम का नाम:	मण्डल का नाम
ग्राम पंचायत का नाम	जिले का नाम
क्र.सं०	
भूमि संयोजन योजना के अधीन विस्तार	
भू-स्वामी का नाम	
चहरदीवारी	
कुल विस्तार	
उत्तर	
दक्षिण	
पूर्व	
पश्चिम	
स्थान	
दिनांक	विकास प्राधिकरण

भू स्वामी जहां तक उपांतरित विस्तार का संबंध है इस अधिसूचना से 30 दिन के भीतर प्रमाणित अभिलेखों सहित आवेदन पत्रों के दो सैट प्रस्तुत किये जायेंगे।

स्थान:
तारीख:

विकास प्राधिकरण



प्ररूप 9.6

नियम 8(1) देखें

स्वामित्व के सत्यापन के लिए भूमि संयोजन योजना और प्रस्तुत अभिलेखों में सहभागिता हेतु भू-स्वामियों का वैयक्तिक सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकरण में अनुसूची में दी गई भूमि में भूमि संयोजन योजना के आशय की घोषणा की अधिसूचना प्रकाशित की गई है। आप से यह अपेक्षा है कि आप दिनांक ——— को या उससे पूर्व ——— समय पर स्वयं / प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख लिखित रूप में भूमि पर आपके हित की प्रकृति, स्वामित्व संबंधी विवरण, किरायेदारी विवरण, अदेय प्रमाण पत्र किसी अन्य व्यक्ति का जिसका भूमि पर कब्जा हो का हित या उसका कोई भाग जो कि सह-स्वामित्व या बंधक या किरायेदारी या अन्यथा किसी अन्य रूप से हित हो और विवरण दिये जाने की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लेख की प्राप्ति सहित राजस्व प्राधिकरणों द्वारा सम्यक सत्यापित 15 वर्षों को अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और आपको यह भी सूचित किया जाता है कि भूमि संयोजन योजना के अधीन अनुबंधित किये जाने के लिए क्षेत्र पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत करने की ——— अंतिम तारीख है।

अनसूची

क्रम संख्या
भूमि संयोजन योजना के अधीन विस्तार
भू स्वामी का नाम
उप खण्ड
कुल विस्तार
श्रेणी

विकास प्राधिकरण

श्री / श्रीमती —————



प्ररूप 9.7
नियम 8(2)देखें
आवेदन पत्र की प्राप्त रसीद

ग्राम----- मण्डल----- जिला----- उत्तराखण्ड की राजधानी क्षेत्र----- में अवस्थित----- एकड़ भू नाप क्षेत्र के संबंध में भूमि संयोजन योजना के अधीन आने वाले भागीदार हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में श्री ----- की प्राप्ति स्वीकार की जाती है। यह प्राप्ति उक्त आवेदन पत्र की पावती में जारी किया जा रहा है। निम्नवत आवेदक/अभिलेख भू स्वामी के सत्यापन हेतु प्राप्त किये गये हैं---

— सहमति आवेदन पत्र (दो सेट में) प्ररूप 9.3 में

— अभिलेखीय साक्ष्य

—विक्रय विलेख/भागीदार विलेख इत्यादि

—संबंधित अभिलेख

—एंडंगल प्रति

—पते सहित पासबुक

—भू स्वामित्व विलेख

—15 वर्ष के लिए अदेय प्रमाण पत्र

—आधार संख्या

— बैंक पास बुक की प्रति

भू-स्वामित्व के संबंध में कोई अन्य साक्ष्य कृपया नीचे उल्लिखित करें---

तारीख

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.8
नियम 8(3) देखें

भू-स्वामियों आमंत्रित आपत्तियों के दावों की सूची का प्रकाशन

अधिसूचना दिनांक----- के अनुसरण में निम्नलिखित भू-स्वामियों/व्यक्तियों से जिनके पास संक्रमणीय अधिकार वाली भूमि है, से भूमि संयोजन योजना में सम्मिलित होने के लिए सहमति आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विवरण:

अनुसूची

ग्राम का नाम: मण्डल का नाम:
ग्राम पंचायत का नाम: जिले का नाम:
क.सं0
भू-स्वामी का नाम
उपखंड
कुल विस्तार
भूमि संयोजन योजना के लिए प्रस्तावित विस्तार
चाहरदीवारी
उत्तर
दक्षिण
पूर्व
पश्चिम

टिप्पणी यदि कोई हो; भूमि संयोजन योजना के नियम 8(3) के अधीन एतद्वारा जारी सूचना:

भू स्वामित्व के लिए आपत्तियों हेतु आमंत्रण सहयोगी अभिलेखों के साथ यदि कोई हों तो सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन में भीतर जमा किये जाने चाहिए। असफल होने पर यह समझा जायेगा कि गुणावगुण पर प्ररूप 9.3 में प्रस्तुत आवेदन के विचार के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान:
तारीख:

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.9
नियम 8(4) देखें

भूमि के कतिपय श्रेणियों के सत्यापन के अनुरोध हेतु जिला कलक्टर को मांग

नियम 6(2) के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में जिसे प्ररूप 9.6 पर भी वैयक्तिक रूप सूचित कर दिया गया है। राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात निम्नलिखित भूमि सरकारी भूमि/आवंटित भूमि/विन्यास भूमि/ वक्फ भूमि की श्रेणी के अंतर्गत आती है, एतद्वारा जिला कलक्टर के समक्ष यह अनुरोध है कि दावों के अपेक्षित सत्यापन और आपत्तियों तथा हितवद्ध पक्षकारों की सूची के अंतिमीकरण तथा अनापत्ति सहित प्राधिकरण को भूमि के अंतरण हेतु अनुरोध है।

क्र.सं०	सर्वेक्षण संख्या	विस्तार	भूमि की श्रेणी
1	2	3	4

- सरकारी भूमि 2. आवंटित भूमि 3. विन्यास भूमि 4. वक्फ भूमि 5. भू-दान भूमि 6. कोई अन्य श्रेणी

स्थान:
तारीख:

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.10

नियम 8(5) देखें

भूमि संयोजन योजना में प्रतिभाग के लिए अर्हता पुष्टिक्रम

संदर्भ संख्या:

दिनांक:

दिनांक----- को प्रकाशित भूमि संयोजन योजना की अंतिम अधिसूचना के अनुसरण में निम्नलिखित आपत्तियां जिनका विवरण नीचे दिया गया है, प्राप्त हुई है—

क्रम संख्या / उपखण्ड संख्या

आपत्ति विस्तार

आपत्ति के निस्तारण के पश्चात प्रतिष्ठित स्वामी का नाम

अदेयता यदि कोई हो

आपत्ति स्वीकार / खारिज

स्थानीय जांय सम्यक रूप से परीक्षित के संदर्भ में प्रविष्टियों और भौतिक कब्जे के संदर्भ में सभी दावे प्रमाणित किये जाते हैं और दावे पर की गई आपत्तियां के क्रम में यह पाया गया है कि निम्नलिखित व्यक्ति भूमि स्वामी के रूप में हस्तांतरित अधिकार रखता है।

अनुसूची

ग्राम का नाम:

मण्डल का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

जिले का नाम:

क.सं०

भू-स्वामी का नाम

क्रम संख्या / उपखंड

कुल विस्तार

भूमि संयोजन योजना के लिए प्रस्तावित विस्तार

चाहरदीवारी

उत्तर

दक्षिण

पूर्व

पश्चिम

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रविष्टि

विकास प्राधिकरण का आदेश : (कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि प्रतिष्ठित स्वामी के हस्तांतरित अधिकार हैं और भूमि संयोजन योजना के अनुबंध हेतु प्राधिकरण के साथ अनुबंध निष्पादित किये जाने के लिए अर्ह है)

स्थान:

तरीख:

विकास प्राधिकरण

प्ररूप- 9.11

नियम 8(6) देखें

भूमि और भू स्वामियों की सूची जिन्होंने भूमि संयोजन योजना के अधीन सहमति नहीं दी है

संदर्भ संख्या:

दिनांक:

दिनांक----- को प्रकाशित भूमि संयोजन योजना की अंतिम अधिसूचना के अनुसरण में और सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने तथा भू स्वामित्व विवादों का निस्तारण करने के पश्चात भूमि संयोजन योजना के अधीन निम्नलिखित भू स्वामियों ने सहमति नहीं दी है—

जिला:

मण्डल:

ग्राम:

क.सं०

प्रतिष्ठित भू-स्वामी का नाम

श्रेणी

उसके द्वारा स्वयं विस्तारित

स्थान:

तारीख:

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.12

नियम 8(7) देखें

भू स्वामी हेतु पुनर्निर्मित भूखण्ड के अर्ह विस्तार का निर्धारण

संदर्भ संख्या:

दिनांक:

दिनांक----- को प्रकाशित भूमि संयोजन योजना उपांतरित क्षेत्र की अधिसूचना के अनुसारण में यह पाया गया है कि श्री /श्रीमती----- पुत्र श्री/पत्नी श्री----- आवंटित भूमि के विस्तार के स्थापित स्वामी है और विकास प्राधिकरण के साथ विकास अनुबंध निष्पादित किया है तथा भूमि हस्तांतरित की है। नियम 8(7) के अनुसार श्री/श्रीमती----- पुत्र श्री/पत्नी श्री----- प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट योजना के कुल क्षेत्र का एक अंश पुनर्निर्मित भूखण्ड /भूमि के लिए पुनर्आवंटन हेतु ----- आवासीय भूखण्ड के वर्ग गज के विस्तार के लिए और -----वर्ग गज के वाणिज्यिक भूखण्ड जैसा नीचे दिया गया है, के लिए अर्ह है---

- 1- भू स्वामी द्वारा दी गयी भूमि का कुल विस्तार ----
- 2- ----- वर्ग गज पुनर्आवंटन हेतु अर्ह विस्तार
- 3- ---- वर्ग गज आवासीय भूखण्ड संख्या का आवंटन

सेक्टर संख्या क्षेत्र संख्या

स्थान:

तारीख:

विकास प्राधिकरण

सेवा में

श्री / श्रीमती-----

प्रतिलिपि तहसीलदार।

प्रतिलिपि उपनिबंधक -----



प्ररूप- 9.13

नियम 8(8) देखें

भूमि संयोजन में भागीदारी के लिए अर्हित भू स्वामियों की सूची

संदर्भ संख्या:

दिनांक:

दिनांक----- को प्रकाशित भूमि संयोजन योजना की प्रकाशित अंतिम अधिसूचना के अनुसरण में और समस्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् तथा निम्नलिखित भू-स्वामियों के भू स्वामित्व विवादों के अंतिमीकरण को उनके भू स्वामित्व के विस्तार सहित स्थापित किये जाने तथा उनके भूमि के अंश पुनर्आवंटित किये जाते हैं—

जिला:

मण्डल:

ग्राम:

क.सं०

स्थापित भू स्वामित्व के साथ भू-स्वामी का नाम

श्रेणी

उसके द्वारा स्वयं विस्तारित

उसके अंश ----- वर्ग गज को किये जाने वाले पुनर्आवंटन का विस्तार

आवासीय

वाणिज्यिक

स्थान:

तारीख:

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.14

नियम 8(8) देखें

विकास अनुबंध और अपरिवर्तनीय सामान्य मुख्तारनामा

संदर्भ संख्या:

यह विकास अनुबंध का विलेख और अपरिवर्तनीय सामान्य मुख्यतारनामा दिनांक----- वर्ष ---- को श्री ----- पुत्र श्री----- आयु लगभग----- वर्ष --- व्यवसाय----- निवासी----- (जिसे यहां पक्षकार संख्या 1 कहा गया है) और

----- विकास प्राधिकरण जो कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के उपबंधों के अधीन एक सांविधिक निकाय है और जिसका कार्यालय ----- पर स्थापित है, किसी अन्य बात के होते हुए भी या अर्थान्वयन पर भी जिसमें सदैव उक्त प्राधिकरण सम्मिलित है, पक्षकार संख्या 2 (जिसे यहां पक्षकार संख्या कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया गया।

पक्षकार संख्या 1 और पक्षकार 2 की अभिव्यक्तियों से जहां कहीं संदर्भ में यह अनुदत्त है इनमें उनके विधिक उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, समुनिदेशिती, प्रशासक, उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है।

चूंकि विकास प्राधिकरण/ पक्षकार संख्या 2 ने जिला ---- मण्डल-- और ग्राम-- और शहर---- की कुल ----- वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमि संयोजन योजना घोषित की है,

चूंकि पक्षकार संख्या 2 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 55 के अधीन राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, के द्वारा उसके क्षेत्र में भूमि संयोजन योजना विकास हेतु अनुबंध किया जा रहा है;

चूंकि श्री ----- सर्वेक्षण /खाता/खसरा संख्या----- में ----- वर्गमीटर भूमि का ग्राम ---- जिला---- का स्वामी/ मूल पट्टेदार और अध्यासी है;

चूंकि उक्त भूमि का खण्ड हित पक्षकार को पक्षकार संख्या 1 द्वारा बंधक, बंधक विलेख संख्या---- दिनांक -- द्वारा की गई थी, कि प्रथम पक्षकार के स्वामी द्वारा निष्पादित और अन्य पक्षकार के हितबद्ध पक्षकार ने ----- उपनिबंधक के कार्यालय में -- क्रम संख्या----- पृष्ठ संख्या---- से ---- तक के खण्ड संख्या ----- की पुस्तिका में उल्लिखित किया है;



चूंकि उक्त भूमि/ भूमियां नियम, 2015 के नियम 6(2) के अधीन प्ररूप 9.1 में आशय की घोषणा की सूचना अधिसूचना संख्या— दिनांक — को समाचार पत्र दिनांक— को प्रकाशित किया जा चुका है और प्ररूप 9.13 में उल्लिखित कर दिया गया है तथा चूंकि हितवद्ध पक्षकार और पक्षकार संख्या 1 तथा प्राधिकरण — खाता /खसरा नम्बर— ग्राम— जिला— की नाम भूमि को प्रदत्त करने और ग्रहण करने के लिए सहमत है तथा स्वामी द्वारा भूमि के दिये जाने के क्रम में प्राधिकरण भू स्वामी को उसके अंश के पुनर्निर्मित भूखण्ड/ भूखण्डों के विस्तार के लिए पुनर्आवंटन हेतु सहमत है;

चूंकि तहसीलदार— और राजस्व खण्ड अधिकारी— खंड ने पट्टा धारक पासबुक संख्या — और स्वामित्व विलेख संख्या— खाता /खसरा संख्या— सहित उपर्युक्त भूमि के संबंध में स्वामी के पक्ष में कर दिया गया है या

चूंकि श्री — ने उपर्युक्त भूमि को स्वामी संख्या— जिसे यहां विक्रय विलेख दिनांक — अभिलेख संख्या— पत्रावली संख्या — द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया है;

चूंकि भू स्वामियों द्वारा भूमि संयोजन योजना के नियमों को समझ लिया है, के अनुसरण में खाता/ खसरा संख्या— ग्राम— जिला— में नाम भूमि को दिये जाने का निर्णय लिया है। विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची क में इसके पश्चात जिसे अनुसूची क भूमि संयोजन योजना के अधीन विकास के लिए सम्पत्ति और उस पर पक्षकार संख्या 1 तथा पक्षकार संख्या 2 सहमत है।

अतः अब यह विकास अनुबंध और अपरिवर्तनीय सामान्य मुख्तारनामा गवाहों सहित निम्नवत निष्पादित किया जाता है—

अतः अब स्वामी अथवा हितवद्ध पक्षकार एतद्वारा प्राधिकरण /पक्षकार संख्या 2 निम्नवत अनुबंध करता है कि —

- (एक) पक्षकार संख्या 2 इस अनुबंध के निर्बंधों के अनुसरण में भूमि संयोजन क्षेत्र में चाहरदीवारियों के परिवर्धन, विकास और अपेक्षित परिवर्तन के लिए सक्षम होगा।
- (दो) यदि पक्षकार संख्या 2 यह चाहती है कि भूमि संयोजन योजना के अधीन भूमि के त्वरित कब्जा लेना आवश्यक है यहां तक कि उसपर फसल खड़ी हो तो प्राधिकरण ऐसा करने के लिए अर्ह होगा परन्तु यह कि अनुबंध में खड़ी फसल के लिए क्षतिपूर्ति दिये जाने का उपबंध सम्मिलित होगा।
- (तीन) पक्षकार संख्या 1 बिना किसी बचाव के उपर्युक्त क्षतिपूर्ति को स्वीकार करेगा और इसके अतिरिक्त किसी अन्य धनराशि का दावा नहीं करेगा।



- (चार) पक्षकार संख्या 1 अग्रेत्तर यह अनुबंध करता है कि वह /वे किसी विधि के न्यायालय में उच्चतर क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए दावा नहीं करंगे और कोई याचिका दाखिल किये जाने के लिए अर्ह नहीं होंगे तथा ऐसी याचिका यदि योजित की जायेगी तो वह शून्य व अविधिक होगी तथा उसे प्राधिकरण /पक्षकार संख्या 2 के आदेशों द्वारा निस्तारित कर दिया जायेगा।
- (पांच) कोई वापसी या प्रतिभू के प्रवर्तन के लिए किसी अन्य उपचारों के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पक्षकार संख्या 2 निर्धारित किसी धनराशि की वसूली कर सकेगा और स्वामी द्वारा भुगतान या दिये जाने वाली पक्षकार संख्या 2 प्रमाणित कर सकेगा तथा हितबक्ष पक्षकार को ऐसी धनराशि वापस करेगा या अन्यथा उसे भू राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकेगा।
- (छः) इस भूमि/भूमियों पर स्वामी या हितबद्ध पक्षकार द्वारा यदि कोई सरकारी देय/अंश/किस्त हो और भूमि/ भूमियों के सापेक्ष किसी लोक वित्तीय संस्था का ऋण अवशेष हो तो उसे पक्षकार संख्या 1 के अंश से घटा दिया जायेगा।
- (सात) पक्षकार संख्या 1 एतद्वारा पक्षकार संख्या 2 को अपरिवर्तनीय और निर्बंधित अधिकार इस अनुबंध तदनुसार उसके अन्य निर्बंधनों के अध्यक्षीन भू संयोजन योजना के प्रयोजनार्थ सम्पत्ति अनुसूची क को पक्षकार संख्या 2 के कब्जे में रखती है। पक्षकार संख्या 1 पक्षकार संख्या 2 को यह अनुमति देती है और प्राधिकृत और सशक्त करती है कि वह अनुसूची का विकास करे।
- (आठ) यह सम्यक है कि पक्षकार संख्या 1 अनुसूची 'क' की सम्पत्ति से संबंधित स्वामित्व के सभी मूल अभिलेख उनकी उपयोगिता की प्राप्तियों, सम्पत्ति कर प्राप्ति सहित पक्षकार संख्या 2 को विकास अनुबंध और अपरिवर्तनीय सामान्य मुख्तारनामा के निष्पादन पर पक्षकार संख्या 2 को हस्तगत करेगा और पक्षकार संख्या 2 उसे सम्पूर्ण योजना के पूर्ण होने के पश्चात आपसी सहमति के अधार पर शर्तों और निर्बंधनों के अनुसरण में उन्हें पक्षकार संख्या 1 को वापस हस्तगत करेगा।
- (नौ) पक्षकार संख्या 1 एतद्वारा घोषणा करता है और पक्षकार संख्या 2 को आस्वथ करता है कि निष्पादन की तारीख को सम्पत्ति अनुसूची क सभी भारों, पूर्व अनुबंध, संयुक्त पारिवारिक हित, पट्टे, अनुज्ञा, अधिभार या सम्बद्धता से मुक्त है और उसके संबंध में कोई बाध्यता या उत्तरदायित्व न तो है न आयी है तथा यहां पक्षकार संख्या 1 के सिवाय सम्पत्ति अनुसूची क में किसी अन्य व्यक्ति के हित नहीं है और अग्रेतर पक्षकार संख्या 2 के अनुबंध में तथा पक्षकार 2 से अनुबंध करने में पक्षकार संख्या 1 अथवा अन्यथा स्वामित्व के किसी कमी के कारण सभी क्षतियों को पूरा करेगा। यदि उक्त सम्पत्ति में कोई तीसरा पक्षकार अपना दावा करता है तो उसका निस्तारण करने के लिए वह स्वयं के व्यय पर पक्षकार संख्या 1 आबद्ध होगा तथा समुचित समय के भीतर उसे पूर्ण करने में असफल होने पर पक्षकार संख्या 2 बिना किसी बाध्यता के जैसा पक्षकार संख्या 2 उचित एवं आवश्यक समझे पक्षकार संख्या 1 के मूल्य पर ऐसी शर्तों में ऐसे दावों का निस्तारण कर दे, जो कि पक्षकार संख्या 1 पर बाधकारी होगी। पक्षकार संख्या 1 स्वयं अनुसूची सम्पत्ति के संबंध में चाहरदिवारियों के चिन्हांकन इत्यादि के संबंध के लिए या



स्वामित्व की समीक्षा के लिए अपेक्षित सूचनाओं के उत्तर और अभिलेख तथा सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

- (दस) कि स्वामी स्वामित्व या कोई तीसरे पक्षकार के दावे संस्था के दावे, बैंक दावे या कोई अन्य दावे या कोई किसी तीसरे पक्षकार के साथ निष्पादित पूर्व करार और उनके दावों या किसी न्यायालयी विवाद की कमी के लिए अकेले उत्तरदायी होगा और उसे स्वयं के व्यय पर निस्तारित करेगा तथा पक्षकार संख्या 2 भूमि के उपर स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ग्यारह) कि पक्षकार संख्या 1 पक्षकार संख्या 2 को एतद्वारा यह अनुमति देता है कि भूमि संयोजन योजना का तैयार करने और उसके भूमि भूखंडो/ परिसरों के भीतर कुल सर्वेक्षण को लिये जाने के लिए तथा पक्षकार संख्या 2 के भूमि संयोजन योजना के अनुमोदित नीति अभिलेख के अनुसार उससे संबंधित उपयुक्त सर्वेक्षण में उल्लिखित भूमि के पुनर्गठन का करार करेगा। पक्षकार संख्या 1 इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या रूकावट पैदा नहीं करेगा।
- (बारह) पक्षकार संख्या 1 पक्षकार संख्या 2 को भूमि संयोजन योजना के अनुसार पक्षकार संख्या 2 के भूमि संयोजन योजना के अधीन विभिन्न प्रस्ताव हेतु भूमि के चिन्हांकन हेतु भूमि को हस्तगत करेगा।
- (तेरह) कि यदि पक्षकार संख्या 1 करार के हस्ताक्षर करने के पश्चात अपने कब्जे की भूमि का विक्रय करता है तो करार की शर्तें नये भूस्वामी पर लागू होंगी।
- (चौदह) पक्षकार संख्या 2 विकास के प्रयोजन के लिए किसी अन्य भूमि को अनुसूची क सम्पत्ति के साथ पक्षकार संख्या 1 को किसी अग्रतर संदर्भ के बिना पक्षकार संख्या 2 के ऐसी शर्तों जैसा पक्षकार संख्या 2 समुचित समझे बिना किसी अनुसूची क के क्षेत्र को घटाये हुए और तीसरे पक्षकार के साथ समुचित अनुबंध करते हुए सम्मिलित करने के लिए अर्ह होगा।
- (पन्द्रह) पक्षकार संख्या 2 यथा भूमि संयोजन योजना के अनुसूची क की सम्पत्ति के बिकास के लिए मूल भूखण्ड या ओपी पुनर्गठित करेगा और प्रत्येक भूखण्ड पहुंच देते हुए विकास के लिए समुचित रीति से पुनर्आकार में रखेगा। अंतिम पुनर्गठित भूखण्ड के रूप में कहलाये जायंगे।
- (सोलह) भूमि संयोजन योजना के मूल्य के सभी शुल्क और अधिभार जैसे विकास अधिभार, भूमि परिवर्तन अधिभार (यदि लागू हो), कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि परिवर्तन अधिभार, रजिस्ट्रीकरण अधिभार और अन्य प्रशासनिक अधिभार तथा संरचनात्मक मूल्य वहन करेगा। संरचना के घटकों में सड़क सहित गलियों के प्रकाश, जल आपूर्ति, सीवरेज लाईन, सीवरेज उपचार सुविधा, खुले हुए स्थान का विकास और स्थल वृक्षरोपण तथा वर्षा जल संचय सम्मिलित होंगे, इनके परिवर्तन भू स्थल की अपेक्षाओं के अध्याधीन होंगे।
- (सत्तरह) अंतिम भूमि संयोजन योजना की अधिसूचना (अंतिम अधिसूचना के जारी होने के पश्चात) विकास अनुज्ञा समझी जायेगी और सभी भवन अनुज्ञायें तदनुसार संवीक्षित होंगी।



- (अठारह) खुले स्थान के लिए अपेक्षित भूमि, सुविधाओं और उपयोगिताएं स्थल में आवासों की जनांख्या पर आधारित होगी जिसे भूमि संयोजन योजना में प्रस्तावित क्षेत्र पर आधार परिवर्तित किया जा सकेगा।
- (उन्नीस) पुनर्गठित भूखंड का स्थल जब तक कि संबंधित विशिष्ट योजना सूचना परिवर्तित नहीं कर दी जाती है, मूल स्थल को बंद रखा जायेगा। ऐसे मामले में पक्षकार संख्या 2 पुनर्गठित भूखण्ड के स्थल के अधिकार सुरक्षित रखेगा और मूल भूखण्ड के पक्षकार संख्या 1 के साथ उसी प्रकार सम्यक विचार के साथ नीति तय करेगा।
- (बीस) पक्षकार संख्या 2 किसी तीसरे पक्षकार को अपने अंश बेचने के लिए विज्ञापन देने के लिए अर्ह होगा और करार निष्पादित करने, प्राप्ति जारी करने पर प्रतिफल प्राप्त करने, समुचित प्रक्रिया करने, विक्रय विलेख निष्पादित करने या विक्रय के लिए तीसरे पक्षकार को जैसा सुविधाजनक हो, के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अर्ह होगा और पक्षकार संख्या 1 इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं करेगा।
- (इक्कीस) पक्षकार संख्या 2 सेवा संयोजन, किसी अनुज्ञा के प्रयोजनार्थ सरकार, राज्य, केन्द्र या स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों/संगठनों को एतद्वारा प्राधिकृत कर सकेगा तथा अनुसूची क की सम्पत्ति के संबंध में योजना अनुमति इत्यादि के प्रस्तुतिकरण सहित विकास कार्यों को किये जाने के प्रयोजनार्थ अनुमति ले सकेगा।
- (बाईस) भूमि संयोजन क्षेत्र के विकास की पूर्णता के पश्चात सभी संबंधों में पक्षकार संख्या 2 पुनर्गठित भूखंडो का कब्जा बांटेगा जिसे पक्षकार संख्या 1 से लिखित में सम्यक रूप से प्राप्त आवंटन पत्र/ हस्तांतरक विलेख पक्षकार संख्या 1 को आवंटित किया जायेगा।
- (तेईस) पक्षकार संख्या 1 को पुनर्गठित भूखंड हस्तांतरण करने के पश्चात उसे यह सुविधा होगी कि उसके अंश के भूखण्ड को वह विक्रय/आवंटित कर सके और जैसा पक्षकार संख्या 1 उचित समझे ऐसी शर्तों और निर्बनधनों पर और ऐसे मूल्य पर ऐसे भूखंड को आवंटित एंसा विक्रय करने के लिए संविदा अथवा करार करे। पक्षकार संख्या 1 द्वारा किये गये ऐसे सभी आवंटन/ विक्रय पक्षकार संख्या 1 के जोखिम और स्वयं के मूल्य पर होंगे और वह ऐसे सभी व्यवहरणों के संबंध में स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (चौबीस) पक्षकार संख्या 1 अनुसूची क की सम्पत्ति पर विकास कार्यों को स्थगित या रोकने की शक्ति नहीं होगी और पक्षकार संख्या 2 द्वारा इस अनुबंध के किसी शर्तों को तोडने के लिए हई क्षति हेतु अर्ह होगा तथा क्षतियां विधि के अनुरूप अर्ह होंगी, यह खण्ड उत्तरवर्ती क्रेता और योजना के हित में सम्मिलित किया जा रहा है।
- (पचीस) कि प्रस्तुत करार में सभी विवादित प्रश्न, उत्पन्न विवाद विकास प्राधिकरण/पक्षकार संख्या 2 के उपाध्यक्ष द्वारा न्यायनिर्णय हेतु संदर्भित किये जायेंगे। इस अनुबंध के खण्डों के निर्वचन के लिए भूमि संयोजन योजना प्रक्रिया और नीति अभिलेखों को पक्षकार संख्या 2/विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा निर्णित किया जायेगा और वह पक्षकार संख्या 1 पर बाध्यकारी होगा।

- (छब्बीस) कि यदि किसी अनदेखे कारणों से उक्त भूमि संयोजन योजना का विस्तार नहीं होता है तो इस संबंध में पक्षकार संख्या 2/विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
- (सताईस) इसमें उल्लिखित सुलह खंडों के अध्यक्ष इस विकास करार के संबंध में या किसी उत्पन्न विवादों के लिए ——— न्यायलय का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।
- (अठाईस) पक्षकार संख्या 2 में बिना किसी कारण बताये हुये किसी भी समय पर इस करार के किसी बिन्दु पर निरस्त करने का अधिकार आरक्षित होगा।
- (उनतीस) ऊपर लिखित किसी बात कि होते हुए भी इसमें दिये गये पक्षकार संख्या 2 के अधिकार और अंश शक्तियों सहित पक्षकार संख्या 1 के पक्ष में किसी अन्य कारक या दिवालिया, मृत्यु द्वारा वापस नहीं लिये जा सकेंगे।
- (तीस) पक्षकार संख्या 1 तथा पक्षकार संख्या 2 प्राधिकारी द्वारा भूमि संयोजन योजना के अंतिम अनुमोदन के पश्चात उनसे संबंधित अंश के चिन्हांकन हेतु अनुपूरक अनुबंध कर सकेंगे और उसे रजिस्ट्रीकृत कर सकेंगे। विस्तार मुर्दित स्थान, खुले स्थान और सामाजिक सुविधाओं गरीब घटकों के लिए आवास इत्यादि को घटाने के पश्चात उलब्ध क्षेत्र पर अवधारित की जायेगी। पक्षकार संख्या 2 सड़क के व्यय और नागरिक सुविधाओं, प्रशासन तथा विधिक मूल्य, रजिस्ट्रीकरण अधिभार तथा विकास लोक सुविधाओं हेतु अन्य व्ययों को पूर्ण कर सकेगा।
- (इकतीस) भूमि संयोजन योजना की स्वीकृति की तारीख से——— दिनों के भीतर पक्षकार संख्या 1 तथा पक्षकार संख्या 2 अंतिम भूखंडों के आवंटन के लिए अनुपूरक अनुबंध निष्पादित कर सकेगा। ऐसे आवंटित क्षेत्र के किसी कारण पर अनुमन्य न होने में आवंटित क्षेत्र की अनुसूची क सम्पत्ति में वरीयता से पक्षकार संख्या 1 को अनुसूची ख क्षेत्र को विकासकर्ता आवंटित कर सकेगा। ऐसे विभाजन के पश्चात पक्षकार संख्या 1 और पक्षकार संख्या 2 पुनर्गठित भूखंड के समेकित अनुसूची क सम्पत्ति के संबंधित भाग के पक्षकार संख्या 1 अनन्य स्वामी हो जायेगे।

अनुसूची- क

ग्राम——— जिला——— पर अवस्थित खाता/खसरा संख्या —— में —— वर्गमीटर माप की सभी भूमि जिसका चिन्हांकन निम्नवत है।

उत्तर
दक्षिण
पूरव
पश्चिम



प्ररूप- 9.15

नियम 9(2)(ड) देखें

राजस्व विभाग को सूचना का नोटिस- इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन सर्वे

संदर्भ संख्या

दिनांक

दिनांक---- को भूमि संयोजन योजना के लिए अंतिम क्षेत्र की अधिसूचना के क्रम में विकास अनुबंध, विकास प्राधिकरण तथा भू स्वामी के मध्य और निम्नलिखित भूमि का कब्जा लिये जाने के लिए निष्पादित किया जा रहा है।

जिला ----- ग्राम----- खाता/खसरा संख्या---- में स्थित प्लॉट संख्या----- माह ----- वर्गमीटर -----निम्नवत चिन्हांकित किया गया है-

उत्तर

दक्षिण

पूर्व

पश्चिम

भूमि संयोजन योजना के नियम 9(2)(ड) के अनुसार खेत की चाहरदीवारी के चिन्हांकन और भूमि संयोजन योजना के संरचना अधिसूचना की तैयारी के लिए अपेक्षित राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जायेगा।

अतः तहसीलदार---- से अनुरोध है कि ----- क्षेत्र के लिए भूमि संयोजन योजना के सर्वेक्षण के समय पर संबंधित सर्वेयर और बीआरओ को तैनात करने का कष्ट करें।

भवदीय

विकास प्राधिकरण

सेवा में,

तहसीलदार

-----मण्डल

प्रतिलिपि जिलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आरडीओ को सूचनार्थ प्रेषित।



प्ररूप- 9.16

नियम 9(2)(ड) देखें

भूस्वामी को सूचना—इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्पेशल सर्वे

संदर्भ संख्या

दिनांक

दिनांक— को प्रकाशित भूमि संयोजित योजना के लिए प्रकाशित के अनुसरण में विकास अनुबंध विकास प्राधिकरण तथा भूमि स्वामी के मध्य निम्नवत भूमि पर कब्जा लिये जाने के लिए निष्पादित किया गया है।

खाता खसरा संख्या— भूखंड संख्या— माप— वर्गमीटर— जो कि ग्राम — जिला— में अवस्थित है, निम्नवत चाहरदीवारी के रूप में है।

उत्तर

दक्षिण

पूरव

पश्चिम

भूमि संयोजित योजना के नियम 9(2)(ड)के अनुसार भूमि संयोजित योजना के संरचना अधिसूचना की तैयारी के लिए चाहरदीवारी के चिन्हांकन हेतु अपेक्षित भूमि स्वामी/प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में भूमि संयोजित योजना का सर्वेक्षण किया जाना है।

अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध है कि भूमि संयोजित योजना क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए — समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय
विकास प्राधिकरण

सेवा में,

श्री / श्रीमती—

प्रतिलिपित कलक्टर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपित आरडीओ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपित तहसीलदार— को सूचनार्थ प्रेषित।



प्ररूप- 9.17

नियम 9(3) देखें

क्षेत्र विवरण का प्रमाणन/अंतिम आधार मानचित्रण और भूस्वामियों की सूची की तैयारी

नियम 6(2) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसरण में यह प्रमाणित किया जाता है कि भूमि संयोजन योजना के सर्वेक्षण को संचालित करने के पश्चात भू स्वामियों की सूची और अंतिम आधार मानचित्रण तथा क्षेत्र विवरण और राजस्व विभाग, भूस्वामियों और तकनीकी सहयोगियों के प्रतिनिधियों की सहायता लेकर भूस्वामियों/प्राधिकारी /आरक्षित भूमि के आवंटन के लिए प्रस्तावित पुनर्गठित तथा भूस्वामियों के मूल धारकों की सम्यक सहायता से सम्पादित किया गया है।

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.18

नियम 9(6)(घ) देखें

अंतिम भूखंड के संयुक्त आवंटन के लिए आवेदन

प्रेषक,

(1) नाम

(2)

(भूस्वामी)

सेवा में,

विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण को ----- को हस्तगत के लिए भूमि संयोजन योजना के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ भूमि संयोजन योजना के अधीन दर्शाये गये निम्नवत खाता/ खसरा संख्या तथा गांव में अवस्थित ----- वर्ग मीटर के विस्तार भूमि माप -----

खाता खसरा संख्या----- भूखंड संख्या----- माप----- वर्गमीटर----- जो कि ग्राम ----- जिला----- में अवस्थित है, निम्नवत चाहरदीवारी के रूप में है।

उत्तर

दक्षिण

पूरव

पश्चिम

क्रम संख्या

स्थापित स्वामित्व के साथ भूमि स्वामी का नाम----- वर्गमीटर भूमि स्वामी द्वारा स्वयं विस्तारित ----- वर्गमीटर अंश भू स्वामी को पुनर्आवंटित किये जाने का विस्तार।

आवासीय

वाणिज्यिक

कुल

मैं/हम -----प्रकाशित अंतिम भूमि संयोजन योजना और अनुमोदित मेरे/हमारे कुल----- अंश के अनुसार सामान्य अंतिम भूखंड के रूप में मेरे/हमारे विभिन्न खेतों /संयुक्त भूमि के क्रम में एक अंतिम भूखण्ड आवंटित करने की सहमति देते हैं।

भवदीय



प्ररूप- 9.19

नियम 9(7) देखें

परामर्शियों का विवरण

क्षेत्र के भूमि संयोजन योजना संरचना को तैयार करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी भूमि संयोजन योजना से संबंधित भू स्वामियों के परामर्श से विकास योजनाओं के अनुसार कार्य करेगा। परामर्शी निम्नवत अधिकथन करेगा—

क्रम संख्या

परामर्शी की मद

परामर्श में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों का नाम

भू स्वामियों/हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा दिये गये सुझाव

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.20

नियम 10(1) देखें

आपत्तियों और सुझाओं के आमंत्रण लिए भूमि संयोजन योजना की अधिसूचना

संदर्भ संख्या

दिनांक

चूंकि दिनांक----- को भूमि संयोजन की अंतिम/उपांतरित क्षेत्र की सूचना को भू स्वामी के सहभागिता और राजस्व विभाग को दिये गये सम्यक सूचना पर भूमि संयोजन योजना क्षेत्र में स्वामित्व स्तर तथा क्षेत्र विवरण के साथ अंतिम आधार मानचित्र तैयार किया गया है। भूमि संयोजन योजना संरचना में भूमि/स्वामित्व का विवरण, भूमि उपयोगिता, भूखंडों का पुनर्गठन, पुनर्आवंटन की रीति, प्राधिकरण/भू स्वामी को विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूखण्ड/ भूमि का आवंटन, भूमि उपयोग, मूल्य लाभ विश्लेषण इत्यादि जैसा कि नियम 9(1) से (8) में उल्लिखित किया गया है, होंगे और सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर भू स्वामीयों से आपत्तियों/सुझाव के लिए एतद्वारा भूमि संयोजन योजना की अधिसूचना जारी की जायेगी।

विस्तृत अंतिम अनुमोदित भूमि संयोजन योजना मानचित्र के साथ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में रखी गयी है और उसका निरीक्षण किसी भी कार्यालय दिवस के दौरान किसी भी समय पर किया जा सकेगा।

भूमि संयोजन योजना संरचना के इस सूचना के अनुसरण में सभी भूमियां सडक बिछाने नालियों के निर्माण, पथ प्रकाश, जल आपूर्ति और अन्य सुविधाओं के प्रयोजन के लिए भू स्वामी और विहित प्रतिनिधियों के किन्ही अधिकारों को प्रस्तावित किये बिना सभीभारों से मुक्त होकर अनन्य रूप से निहित हो जोयगी और योजना के परिवर्तन के फलस्वरूप सरसरी तौर पर अवैध कब्जेदार खाली करा लिये जायंगे।

भूमि संयोजन योजना के अधीन भूमि अनूसूची

भू स्वामी के मूल भूमि धारक

अर्हता (वर्गमीटर)

आवंटन के लिए प्रस्तावित पुनर्गठित भूखंड संख्या

ग्राम

जिला में स्थित माप ----- वर्गमीटर --- अवस्थित खाता/खसरा संख्या

उत्तर

दक्षिण

पूरब

पश्चिम

भूस्वामी का नाम

श्रेणी आवासीय / वाणिज्यिक

प्ररूप- 9.21

नियम 10(2) देखें

भूमि संयोजन योजना संरचना पर आपत्तियों/सुझावों का प्ररूप

नियम 10(1) के अधीन भूमि संयोजन योजना की संरचना पर आमंत्रित आपत्तियों/ सुझावों की अधिसूचना के अनुसरण में मै/हम— पुत्रश्री/पत्नी श्री— भू स्वामी /हितवद्ध व्यक्ति होने के कारण निम्नलिखित आपत्तियां /सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं।

आपत्तिकर्ता का नाम

आपत्तियों की श्रेणी

भू स्वामी

भू स्वामी को भूखण्ड का पुनर्गठन

आरक्षित भूमि

प्राधिकरण के लिए भूमि

आपत्तियों की प्रकृति

सुझाव

भूस्वामी/हितवद्ध व्यक्ति



प्ररूप- 9.22

नियम 10(4) देखें

अंतिम भूमि संयोजन की सूचना

संदर्भ संख्या

दिनांक

चूंकि संदर्भ संख्या----- दिनांक ----- के द्वारा भूमि संयोजन योजना की संरचना विकास प्राधिकरण द्वारा नियम 6(3) में विहित रीति से प्रकाशित की गयी थी। समय से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का परीक्षण किया गया और आवश्यक उपांतरों के पश्चात अपेक्षित अनुमोदन के लिए उसे प्राधिकरण के समक्ष रखा गया और भूमि संयोजन योजना अंतिम हो गयी है।

अंतिम भूमि संयोजन योजना के अंतिम अधिसूचना एतद्वारा बना दी गयी है। अंतिम भूमि संयोजन योजना के अधीन अधिसूचित क्षेत्र भूमि संयोजन योजना के क्रियान्वयन और पुनर्संगठित करने के लिए सभी भारों से मुक्त होकर प्राधिकरण में अनन्य रूप से निहित हो गयी है।

अंतिम अनुमोदित भूमि संयोजन योजना मानचित्र के साथ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में रखी गयी है और उसका निरीक्षण किसी भी कार्यालय दिवस के दौरान किसी भी समय पर किया जा सकेगा।

अंतिम भूमि संयोजन योजना के अधीन भूमि अनुसूची

जिले का नाम:

ग्राम का नाम:

भू स्वामी के मूल भूमि धारक

अर्हता (वर्गमीटर)

आवंटन के लिए प्रस्तावित पुनर्गठित भूखंड

ग्राम

भूस्वामी का नाम

श्रेणी आवासीय / वाणिज्यिक

क्षेत्र संख्या

सेक्टर संख्या

भूखंड संख्या

स्थान

दिनांक

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.23

नियम 10(4) देखें

भूस्वामियों से भूमि का कब्जा लिया जाना

दिनांक----- को प्रकाशित भूमि संयोजन योजना की अंतिम अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात तथा स्वामित्व विवादों के निस्तारण के बाद भू स्वामियों के साथ विकास प्राधिकरण द्वारा करार निष्पादित किया गया है—
श्री/श्रीमती----- पुत्र श्री/पत्नी श्री----- ने दिनांक----- को नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

जिला ग्राम
स्थापित स्वामित्व के साथ भू स्वामी का नाम
चाहरदीवारी
उत्तर
दक्षिण
पूर्व
पश्चिम
हस्तगत
भूस्वामी

प्राप्त किया
विकास प्राधिकरण

साक्षी
1—
2—



प्ररूप- 9.24

नियम 11(4) देखें

भू संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र

संदर्भ संख्या

दिनांक

संदर्भ संख्या-----दिनांक-- -- में प्रकाशित अंतिम भूमि संयोजन योजना के अनुसरण में श्री/श्रीमती--- - पुत्रश्री/पत्नीश्री----- निवासी----- गली----- जिला----- को जारी प्ररूप 9.25 में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के अनुसार नीचे अनुसूची में दर्शाये गये भूखण्ड को आवंटित कर दिया गया है।

भूस्वामी के मूल भूमि धारक

अर्हता (वर्गमीटर)

आवंटन के लिए प्रस्तावित पुनर्गठित भूखंड

ग्राम

जिला

भू स्वामी का नाम

श्रेणी

आवासीय/वाणिज्यिक

पुनर्आवंटन के लिए अर्हता विस्तार ---- वर्ग गज

भूखण्ड संख्या---- सेक्टर संख्या ---- जोन संख्या----- में आवासीय भूखण्ड का आवंटन
भूखण्ड संख्या---- सेक्टर संख्या ---- जोन संख्या----- में वाणिज्यिक भूखण्ड का आवंटन

1- एक तिहाई और उससे अधिक भू स्वामियों की उपस्थिति में लौटारियों के माध्यम से भूमि का आवंटन किया गया है।

2- यह प्रमाण पत्र भू स्वामित्व के साक्ष्य के परिणामिक पुष्टि है और स्वामी के पास रजिस्ट्रीकरण अधिनियम और सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्पत्ति का हस्तांतरणीय अधिकार है।

3- अंतिम भूखंड के विकास के लिए अपेक्षित सभी अनापत्ति प्रमाण पत्रों का प्राप्त करने के लिए अंतिक भूखंडों के साथ संरचनाओं के लिए स्वामी उत्तरदायी होगा और विकास अनुज्ञा की स्वीकृति के लिए नियमों के अनुसार आवश्यक शुल्क और अधिभार के भुगतान के लिए प्रस्तावित विकास की रीति पर विकास लागू उन्नयन विनियम और भवन विनियमों /नियमों पर आधारित होगा।



4- अंतिम भवन स्वामी या अंतिम भूखंड का कोई अन्य केता सामान्य संरचना और संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी अभिकरणों द्वारा अभिरोपित प्रयोक्ता और अनुरक्षण अधिभार का भुगतान करेगा।

संलग्न अंतिम भूखंड का आरेखण

स्थान

दिनांक

विकास प्राधिकरण

सेवा में

श्री / श्रीमती-----

प्रतिलिपि तहसीलदार---- को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उपनिबंधक को सूचनार्थ प्रेषित।



प्ररूप- 9.25

नियम 11(6)देखें

बैबसाइट पर प्रकाशन के लिए भूस्वामी द्वारा दी गयी भूमि और भूमि संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र का विवरण

भूस्वामी के मूल भूमि धारक

भूस्वामी का नाम

श्रेणी- आवासीय/वाणिज्यिक

आवासीय वाणिज्यिक

अर्हता (वर्गमीटर)

आंवटन के लिए प्रस्तावित पुनर्गठित भूखंड

ग्राम

जिला

क्षेत्र संख्या

सेक्टर संख्या

भूखंड संख्या

स्थान

तारीख

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.26

नियम 12(1)(क) देखें

श्रेणीवार आरक्षित भूमि की पंजिका

संदर्भ संख्या -- दिनांक -- द्वारा प्रकाशित अंतिम भूमि संयोजन योजना की अधिसूचना के अनुसरण में प्राधिकरण पार्क, खेल मैदान और खुल स्थान, सड़क, सामाजिक सुविधा और उपलब्ध आवासीय व्यवस्था के लिए समस्त भूमि को हस्तगत कर रही है।

क्र.सं.	सेक्टर संख्या	क्षेत्र संख्या	प्रयोजन जिसके लिए आरक्षित किया जा रहा है	भूखंड संख्या	विस्तार	चाहरदिवारी उ.द.पू.प.
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी:- प्रयोजन जिसके लिए आरक्षित है- कृपया पार्क या खेल का मैदान या खुला क्षेत्र या सड़क या सामाजिक सुविधाएं या आवासीय सुविधा इत्यादि को लिखें।

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.27

नियम 12(1)(ख) देखें

प्राधिकरण/भू स्वामी द्वारा भूमि को लिये जाने की पंजिका

संदर्भ संख्या -- दिनांक -- द्वारा प्रकाशित अंतिम भूमि संयोजन योजना की अधिसूचना के अनुसरण में प्राधिकरण पार्क, खेल मैदान और खुल स्थान, सडक, सामाजिक सुविधा और उपलब्ध आवासीय व्यवस्था के लिए समस्त भूमि को हस्तगत कर रही है और नियम 12 (1)(ख) के अधीन निहित शक्तियों के अनुसार पृथक पंजिका में अंकित कर रही है।

क्र. सं.	सेक्टर संख्या	जोन संख्या	स्वामित्व(भूस्वामी / प्राधिकरण)	आवासीय / वाणिज्यिक	प्लॉट संख्या	चाहरदिवारी उ.द.पू.प.
1	2	3	4	5	6	7

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.28

नियम 12(4) देखें

पुनर्गठित भूखंडों के भौतिक कब्जे का लिया जाना

संदर्भ संख्या:

दिनांक:

संदर्भ संख्या----दिनांक-- में प्रकाशित अंतिम भूमि संयोजन योजना के अनुसरण में श्री/श्रीमती-- - पुत्रश्री/पत्नीश्री----- निवासी----- गली----- जिला----- को जारी प्ररूप 9.25 में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक----- को नीचे अनुसूची में दर्शाये गये भूखण्ड को हस्तगत कर दिया गया है।

भू स्वामी द्वारा दी गयी भूमि का कुल विस्तार---

पुनर्आवटन के लिए अर्ह विस्तार----- वर्गमीटर

भूखण्ड संख्या----- सेक्टर संख्या ----- जोन संख्या----- में आवासीय भूखण्ड का आवंटन

भूखण्ड संख्या----- सेक्टर संख्या ----- जोन संख्या----- में वाणिज्यिक भूखण्ड का आवंटन

हस्तगत

विकास प्राधिकरण

प्राप्त

भूमि स्वामी

सेवा में,

श्री/श्रीमती

प्रतिलिपि तहसीलदार--- को सूचनार्थ प्रेषित।



प्ररूप- 9.29

नियम 13(1) देखें

अंतिम भूमि संयोजन योजना की पूर्णता की सूचना का प्रकाशन

संदर्भ संख्या

दिनांक

उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) नियम, 2015 के नियम 13(1) के अधीन पूर्णता अंतिम भूमि संयोजन योजना एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

अनुसूची

जिला

ग्राम:

क्षेत्र:

सेक्टर

क्र. सं.	सेक्टर सं०	क्षेत्र संख्या	कुल विस्तार	भूखण्डों की संख्या	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण	संरचनात्मक योजना का विवरण
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप- 9.30

नियम 13(2) देखें

भूमि अभिलेखों में दाखिल खारिज के पश्चात् पुनर्निर्मित भूखण्डों का प्रकाशन
संदर्भ संख्या दिनांक

उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) नियम, 2015 के नियम 13(2) के अधीन विकास प्राधिकरण की अपेक्षा के क्रम में अभिलेखों में दाखिल खारिज किये जाने के पश्चात् भूमि संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र के विवरण के साथ अंतिम भूखण्ड के पुनर्आबटन के विस्तृत विवरण एतद्वारा अधिसूचना के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं और अंतिम भूमि संयोजन योजना के ले आउट सहित पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

अनुसूची

जिला		ग्राम:	क्षेत्र:	सेक्टर				
क्र. सं.	सेक्टर सं०	क्षेत्र संख्या	स्वामित्व (आरक्षित / आवंटित / प्राधिकारी)	आवासीय / वाणिज्यिक	यदि आवंटित से संबंधित हो तो आवंटि का नाम दाखिल कारिज सहित	भूखण्ड संख्या	विस्तार	चाहरदिवारी उ०द०पू०प०

स्थान
दिनांक:

विकास प्राधिकरण



प्ररूप- 9.31

नियम 13(3) देखें

पूर्णता प्रमाण पत्र

संदर्भ संख्या

दिनांक

उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) नियम, 2015 के नियम 13(3) के अधीन विस्तृत सत्यापन के पश्चात् एतद्वारा अंतिम भूमि संयोजन योजना के ले आउट का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। अंतिम भूमि संयोजन योजना के ले आउट के विवरण नीचे अनुसूची में दर्शाये गये हैं—

अनुसूची

जिला

ग्राम:

क्षेत्र:

सेक्टर

भूखण्डों की संख्या	कुल विस्तार	भू स्वामियों को आवंटित भूमि का विवरण		आरक्षित भूमि का विवरण		प्राधिकरण को आवंटित भूमि का विवरण	
		विवरण	विस्तार	विवरण	विस्तार	विवरण	विस्तार
1	2	3	4	5	6	7	8

अंतिम भूमि संयोजन योजना के ले आउट की एक प्रति भू स्वामियों सहित जनता के निरीक्षण हेतु विकास प्राधिकरण के कार्यालय में निरीक्षण हेतु खुली रखी जायेगी और प्राधिकरण की बैबसाइट में भी प्रदर्शित की जायेगी।

स्थान

दिनांक:

विकास प्राधिकरण

